

अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान दीवानी वाद संख्या- 20/2009-10

11

कालु हो

बनाम

कृष्ण चन्द्र सवैयाँ एवं अन्य।

आदेश

यह कोल्हान दीवानी वाद दिनांक- 25.03.2010 को कालु हो, पिता- स्व० सतारी हो, ग्राम- डेमकापदा, परगना- कोल्हान, थाना- मंझारी, पो०- गितिलपी, जिला- पश्चिमी सिंहभूम द्वारा वाद पत्र के Schedule "A" में वर्णित भूमि Declaration and recovery of possession के लिए प्रतिवादी संख्या 1. कृष्ण चन्द्र तामसोय, पिता- स्व० सतारी तामसोय, 2. बुकलु तामसोय, पिता- स्व० जोगना तामसोय, ग्राम- डेमकापदा, परगना- कोल्हान, थाना- मंझारी, पो०- गितिलपी, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध दायर किया गया है। वादी प्रतिवादी या उनके अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष नहीं रखने के कारण नोटिस भी भेजा गया लेकिन सुनवाई हेतु निर्धारित कई तिथि गुजर जाने के बाद भी उभय पक्ष की ओर से पैरवी नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि वादी को इस वाद भूमि में कोई अभिरुचि नहीं है।

अतः उक्त के आलोक में इस वाद को खारीज (Dismiss for Default) किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

lip

05.04.22

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

lip

03.04.22

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान दीवानी वाद संख्या- 20/2009-10

(11)

कालु हो

बनाम

कृष्ण चन्द्र सवैयाँ एवं अन्य।

आदेश

यह कोल्हान दीवानी वाद दिनांक- 25.03.2010 को कालु हो, पिता- स्व० सतारी हो, ग्राम- डेमकापदा, परगना- कोल्हान, थाना- मंझारी, पो०- गितिलपी, जिला- पश्चिमी सिंहभूम द्वारा वाद पत्र के Schedule "A" में वर्णित भूमि Declaration and recovery of possession के लिए प्रतिवादी संख्या 1. कृष्ण चन्द्र तामसोय, पिता- स्व० सतारी तामसोय, 2. बुकलु तामसोय, पिता- स्व० जोगना तामसोय, ग्राम- डेमकापदा, परगना- कोल्हान, थाना- मंझारी, पो०- गितिलपी, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध दायर किया गया है। वादी प्रतिवादी या उनके अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष नहीं रखने के कारण नोटिस भी भेजा गया लेकिन सुनवाई हेतु निर्धारित कई तिथि गुजर जाने के बाद भी उभय पक्ष की ओर से पैरवी नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि वादी को इस वाद भूमि में कोई अभिरुचि नहीं है।

अतः उक्त के आलोक में इस वाद को खारीज (Dismiss for Default) किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

lip
05.04.22
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

lip
05.04.22
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।